संख्या: 9/2020/940/12-2-2020-60(3)/2016

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2020

विषय: भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ, 2020 एवं आगामी वर्षो के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस.कैम्प 516/सी-32/फ0बी0/2019-20 दिनांक 11 मार्च, 2020 तथा पत्र संख्या: एस. कैम्प-25/सी-32/07/2020-21 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ 2020 व आगामी वर्षो के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार प्रदेश में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं में बीमित की जाने वाली फसल का चयन, जनपद का चयन, बीमित राशि, प्रीमियम दर, बीमा की इकाई, इन्डेम्निटी स्तर, निविदा की शर्तो आदि के सम्बध में निर्णय लेते हुए फसल बीमा योजनाओं को प्रदेश में संचालित कराया जाता है। वर्ष 2020 व आगामी वर्षो के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में संचालित कराया जायेगा।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या: 13015/02/2015-क्रेडिट-2 दिनाक 28 फरवरी, 2020 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु जारी संशोधित दिशा-निर्देश के क्रम में खरीफ, 2020 व आगामी वर्षो के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने हेतु निम्नवत संशोधन किया जा रहा है:-

क्र0सं0	पूर्व प्राविधान/व्यवस्था	भारत सरकार द्वारा संशोधित प्राविधान
1	<u>योजना को लागू करने की अवधि:</u> योजना को आगामी 03 वर्षो तक के लिए लागू किया जा सकता था	<u>योजना को लागू करने की अवधि:</u> संशोधन के फलस्वरूप योजना को 03 वर्षो तक लागू करते हुए बीमा कम्पनियों के कार्य क्षेत्र का आवंटन किया जाना है।
2	<u>बीमित राशि:</u> फसल की स्केल ऑफ फाइनेन्स को फसल की बीमित राशि के रूप में निर्धारित किया जाना।	<u>बीमित राशि:</u> संशोधन के फलस्वरूप बीमित राशि का निर्धारण जनपद में बीमित फसल की औसत उपज (विगत 07 वर्षो में से 05 सर्वाधिक वर्षो की उपज का औसत) को फसल की भारत सरकार द्वारा अद्यतन घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने की स्थिति में फसल की गत वर्ष की कटाई के उपरान्त तीन माह की फार्म गेट प्राइस के औसत) से गुणा कर आंकलित किया जायेगा। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फसल की बीमित राशि निर्धारित की जा सकेगी।
3	प्रीमियम पर केन्द्र व राज्य सरकार का <u>अनुदान:</u> सिंचित एवं असिचित सभी क्षेत्रों हेतु कृषक द्वारा देय प्रीमियम अंश को छोडकर फसल की निर्धारित वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत अनुदान के रूप में वहन किया जाता था।	प्रीमियम पर केन्द्र व राज्य सरकार <u>का अनुदान:</u> योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू की गयी है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
4	<u>कवर किए गए जोखिमों का चुनाव:</u> योजना के दिशा-निर्देशानुसार सभी	<u>कवर किए गए जोखिमों का चुनाव:</u> प्रदेश अपनी आवश्यकतानुसार

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जोखिमों को कवर किया जाता था।	जोखिमों का चयन करते हुए योजना को संचालित कर सकता है।
5	बीमा कम्पनियों को राज्य अनुदान की <u>धनराशि का भुगतान:</u> बीमा कम्पनियों को राज्य द्वारा देय अनुदान की धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त ही बीमा कम्पनियों को केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होती है। इसके उपरान्त ही बीमा कम्पनियॉं बीमित किसानों को उनकी देय क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है।	बीमा कम्पनियों को राज्य अनुदान की <u>धनराशि का भुगतान:</u> बीमा कम्पनियों को राज्य द्वारा देय अनुदान की धनराशि का भुगतान खरीफ मौसम के लिए 31 मार्च तक तथा रबी मौसम के लिए 30 सितम्बर तक करने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। ऐसा नहीं करने पर केन्द्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ तथा रबी मौसम में राज्य सरकार को योजना का संचालन करने की सहमति नहीं प्रदान की जायेगी।
6	उपज के आंकडों को तकनीकी विधि एवं तकनीकी सुविधाओं का अधिक प्रयोग करते हुए <u>आंकलित किया जाना:</u> फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त फसल की उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता रहा है। अन्य तकनीकी विधि तथा सुविधाओं का प्रयोग कम होता रहा है।	उपज के आंकडों को तकनीकी विधि एवं तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए <u>आंकलित किया जाना:</u> फसल कटाई प्रयोगों के साथ-साथ तकनीकी विधियों एवं तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए किसानों को समय से क्षतिपूर्ति प्रदान कराने का निर्णय लिया गया है। फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन अधिसूचित स्तर पर किसी कारण से नहीं होने की दशा में तकनीकी साल्यूशन का उपयोग करते हुए फसल की उपज का आंकलन कर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति समय से प्रदान करायी जायगी।
7	<u>कृषकों की भागीदारी:</u> योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर कवर किए जाते रहे हैं।	<u>कृषकों की भागीदारी:</u> अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पूर्व तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान करने का प्राविधान रखा गया है।
8	<u>प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था:</u>	प्रशासनिक व्यय की <u>व्यवस्था:</u>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योजना के सफल सचालन हेतु राज्य सरकार को राज्य की प्राविधानित कुल बजट की धनराशि का 02 प्रतिशत तक की धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में करने की व्यवस्था रही है।	योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार को राज्य की प्राविधानित कुल बजट की धनराशि का 03 प्रतिशत तक की धनराशि प्रशासनिक व्यय हेतु अलग से मद खोलते हुए व्यय करने का प्राविधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से योजना का संचालन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के संचालन हेतु अपना अंशदान पृथक रूप में दिया जायेगा।
9	अत्यधिक सूखे से प्रभावित <u>जनपदों हेतु विशेष योजना:</u> योजना नहीं रही है।	अत्यधिक सूखे से प्रभावित <u>जनपदों हेतु विशेष योजना:</u> देश के अत्यधिक सूखे से प्रभावित 151 जनपदों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इन चयनित जनपदों के कृषक न्यूनतम आय के होते हैं। इनके लिए पृथक से योजना बनाते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

3. खरीफ, 2020 एवं आगामी वर्षो के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19 मार्च, 2020 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सम्पन्न बैठक में इन योजनाओं के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों व फसलों के चयन, बीमित राशि, बीमा की इकाई, इण्डेम्निटी स्तर, निविदा की शर्तो आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ मौसम में फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर एवं रबी मौसम में फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही-सरसों व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को चयनित जनपदों में फसल बाहुल्य क्षेत्रों में कुल 07 औद्यानिकी फसलों को बीमित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 19 जनपदों यथा जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी, देवरिया, फतेहपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, सीतापुर, महराजगंज, शाहजहॉपुर, कानपुर नगर, बलरामपुर, बलिया व गाजीपुर में फसल केला एवं 07 जनपदों यथा जनपद उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, ललितपुर, हरदोई, लखनऊ में फसल पान तथा 19 जनपदों यथा जनपद बाराबंकी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, कौशाम्बी, वाराणसी, बदायूँ, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहॉपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, रायबरेली, आजमगढ, गाजीपुर, बलिया व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बलरामपुर में फसल मिर्च तथा 23 जनपदों यथा जनपद आगरा, बाराबंकी, एटा, अयोध्या, कानपुर नगर, मैनपुरी, उन्नाव, सीतापुर, गाजीपुर, आजमगढ, मिर्जापुर, अम्बेडकरनगर, सोनभद्र, फिरोजाबाद, बलिया, शाहजहॉपुर, हमीरपुर, कन्नौज, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली, बुलन्दशहर, हापुड में फसल टमाटर, 05 जनपदों यथा जनपद फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बदायूँ, बरेली, शाहजहॉपुर में फसल शिमला मिर्च, 18 जनपदों यथा जनपद बाराबंकी, बस्ती, गोण्डा, हमीपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, एटा, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, बहराइच, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया, कासगंज, कानपुर नगर, कन्नौज में फसल हरी मटर तथा 14 जनपदों यथा जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, बलरामपुर में फसल आम को फसल बाहुल्य ब्लाकों में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर खरीफ, 2020 एवं आगामी वर्षो में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किया जायेगा।

4. खरीफ 2020 एवं आगामी वर्षो के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(i) प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii) व्यापक आपदाओं से खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जल-भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति के जोखिमों को कवर किया जायेगा जिसमें फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में प्रत्येक अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जायेगा। क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों से किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा आवश्यक नहीं है। योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर क्षतिपूर्ति देय होने पर क्षतिपूर्ति की धनराशि को सीधे कृषक के बैंक खाते में बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जायेगा।

फसल बुवाई के पश्चात से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की अनुमानित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की सम्भावित स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक कृषकों को तात्कालिक सहायता (सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक) प्रदान की जायेगी, जिसे मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में प्रत्येक अधिसूचित फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

जब व्यापक आपदाओं के कारण ग्राम पंचायत में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बीमित फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति होती है, उस स्थिति में ग्राम पंचायत में प्रभावित फसलों के उत्पादक सभी कृषकों को बीमित राशि के 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशत क्षतिपूर्ति का प्राथमिकता पर भुगतान कर दिया जायेगा एवं प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित कृषकों का आगे बीमा आच्छादन समाप्त माना जायेगा।

(iii) स्थानिक आपदाओं यथा ओलावृष्टि, जल-भराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से खडी फसलों को क्षति की स्थिति अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमित फसलों के उत्पादक आपदा प्रभावित कृषकों की क्षति का व्यक्तिगत आधार पर आंकलन किया जायेगा एवं आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

इसी प्रकार खडी फसलों को स्थानिक आपदाओं अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति के कारण ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने की स्थिति में क्षति का आंकलन जनपद के कृषि विभाग, राजस्व विभाग व बीमा कम्पनी के अधिकारी की संयुक्त कमेटी द्वारा रैण्डम आधार पर किया जायेगा एवं उसके आधार पर क्षतिपूर्ति उन सभी बीमित कृषकों को दी जायेगी, जिन्होने निर्धारित समयावधि में व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत किया है।

व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रभावित प्रत्येक बीमित कृषक को आपदा के 72 घन्टे के अन्दर स्वयं/अपने बैंक/बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर/जनपद के कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक/जनपद के कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा कृषकों के प्राप्त व्यक्तिगत दावे को अगले 48 घन्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

व्यक्तिगत आधार पर भुगतान की गयी आंशिक क्षतिपूर्ति की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

(iv) अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पूर्व योजनान्तर्गत प्रतिभागिता करने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान करने का प्राविधान रखा गया है।

(v) खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न व दलहन), तिलहन, वार्षिक नकदी व औद्यानिकी फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल (अद्यतन स्थिति तक) उपलब्ध होने पर अधिसूचित किया जायेगा।

(vi) जनपद स्तर पर फसल के उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि का निर्धारण किया जायेगा। बीमित राशि का आंकलन जनपद में बीमित फसल की औसत उपज (विगत 07 वर्षो में से 05 सर्वाधिक वर्षो की उपज का औसत) को फसल की भारत सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अद्यतन घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने पर गत वर्ष की फार्म गेट प्राइस) से गुणा कर आंकलित किया जायेगा।

(vii) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा।

(viii) खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन) व तिलहन हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ मौसम में बीमित राशि के दो प्रतिशत तथा रबी फसलों में बीमित राशि के डेढ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नकदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(ix) योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू की गयी है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(x) थ्रेशोल्ड उपज (गारन्टीड उपज) का आंकलन पिछले 07 वर्षो की औसत उत्पादकता में से 05 सर्वाधिक उत्पादकता वाले वर्षो का चयन करते हुए उनकी औसत उत्पादकता में निर्धारित इण्डेम्निटी स्तर (प्रतिशत में) से गुणा करने के पश्चात निर्धारित किया जायेगा।

5. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी।

(iii) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नकदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमा राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(iv) योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू की गयी है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा। परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(V) फसलों की क्षति का आंकलन फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में फसल की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मौसमीय स्थितियों एवं बीमा इकाई क्षेत्र में मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(Vi) योजना में फसलों की क्षति का आंकलन जनपद में अधिसूचित ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर किया जायेगा। जनपद में मौसम की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से बीमा इकाई स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। मौसम केन्द्र पर मौसम के प्रतिदिन के उपलब्ध आंकडों के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति का आंकलन किया जायेगा।

(Vii) बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कृषक के बैंक खाते में बीमा कम्पनी द्वारा जमा किया जायेगा। क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को किसी प्रकार का व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

6. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के कार्य क्षेत्र के निर्धारण हेतु एक दूसरे से जुडे हुए मण्डलों के जनपदों को लेकर 08 समूह बनाये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को बनाये गये 08 समूहों में इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक समूह में अनुमानित बीमित राशि लगभग समान हो जाय। उपरोक्त सभी समूहों में सम्मिलित जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित की जाने वाली सभी फसलों को सम्मिलित किया गया है जिसमें सम्मिलित जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित सभी फसलों के वास्तविक प्रीमियम दर का प्रस्ताव ई-निविदा के माध्यम से भारत सरकार की सभी पैनलबद्ध बीमा कम्पनियों से आमंत्रित किया जायेगा एवं समूह स्तर पर न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम के आधार पर बीमा कम्पनी के कार्य क्षेत्र का आवंटन किया जायेगा।

7. खरीफ 2020 एवं आगामी वर्षो के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रभावी संचालन एवं समय से क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है अथवा कृषक को योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति बनती है, तो उन स्थितियों में संबंधित बीमा कम्पनी के विरूद्ध आर्थिक अर्थ दण्ड लगाये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में 110-फसल बीमा, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (के0 50/रा0 50) के 27-सब्सिडी मानक मद में धनराशि रूपये 450.00 करोड का प्राविधान कराते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की देयता का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में अधिकृत बीमा कम्पनियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट व्यवस्था हो चुकी है। आगामी वर्षो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन कृषि विभाग द्वारा बजट का प्राविधान कराते हुए योजना का संचालन कराया जायेगा।

9. खरीफ 2020 एवं आगामी वर्षो के खरीफ व रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा फसलों व क्षेत्रों का चयन करते हुए चयनित फसलों व क्षेत्रों की सूची/विवरण के साथ योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर राज्य अनुदान की धनराशि का आंकलन करते हुए सूचना समय से कृषि विभाग को आवश्यक बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त शासनादेश में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 9/2020/940(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।